

2022/105

प्रपत्र-8

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) शाहपुरा जिला-जयपुर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प शाहपुरा जिला

"न्याय आपके द्वार-2016" दिनांक 3-6-2234  
3-6-22उपखण्ड अधिकारी के लिये **आदेश** 2021-2022प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शाहपुरा व भू.अ.नि. शाहपुरा जिलाकी रिपोर्ट तथा तहसीलदार शाहपुरा / नायब तहसीलदारकी अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा व जिला शाहपुराकी जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या 258 में वर्तमान में दर्ज

प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>शाहपुरा</u>	<u>258</u>	<u>किशाना पुत्र रामसहाय किशनलाल उर्फ</u> <u>किशाना पुत्र</u> <u>रामसहाय</u> <u>(शेष इ-316 मथाला)</u>	

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालतउपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
शाहपुरा (जयपुर)दिनांक 3-6-2022क्रमांक :- 35-36प्रतिलिपि शाहपुरा

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

प्रतिACK03/06/2022पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालतउपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
शाहपुरा (जयपुर)

जाने की गई रिपोर्ट पत्रावली के आधार पर किशाना पुत्र रामसहाय के खाता नं. 258 पर 26/6/22  
किशनलाल उर्फ रामसहाय दर्ज किया जाना उचित है।

मू. अ. नि. शाहपुराखोरालाड़खानी, उप तहसील मनोहरपुर  
तहसील शाहपुरा (जयपुर) राज.